SCAT NEWS
स्कैट समाचार

The Latest Update on Whats Happening Around Us In The World Of Satellite & Cable TV

सैटेलाइट और केबल टीवी की दुनिया में हमारे चारों तरफ क्या हो रहा उसका नवीनतम अपडेट

BBC INDIA FINED FOR FEMA VIOLATIONS

The Enforcement Directorate (ED) has imposed a Rs. 3.44 crore penalty on BBC India for alleged violations of the Foreign Exchange Management Act (FEMA). Additionally, three BBC directors—Giles Antony Hunt, Indu Shekhar Sinha, and Paul Michael Gibbons—have been fined Rs. 1.14 crore each.

The penalty follows a case registered by the ED two years ago, with the agency citing multiple FEMA contraventions in a show-cause notice issued in August 2023. The investigation was launched months after the Income Tax Department conducted a survey at BBC's Delhi office in February 2023.

The total penalty stands at Rs. 3,44,48,850, with an additional fine of Rs. 5,000 per day from October 15, 2021, until compliance. The government, while not naming BBC directly, had previously indicated tax discrepancies related to undisclosed remittances by foreign entities of the group.

MAHIMA KATARIA JOINS BHARAT EXPRESS

TV journalist Mahima Kataria has joined the 'Bharat Express' news channel as a special correspondent, where she will primarily cover the PMO beat.

In a conversation with Samachar4Media, she shared insights about her new role and responsibilities at the channel.

Prior to this, Mahima Kataria briefly worked with India Daily 247, where she also covered the PMO beat as a senior correspondent. Before joining India Daily 247, she was associated with ITV Network since July 2022, serving as a senior correspondent for the group's news channels, India News and NewsX.

बीबीसी इंडिया पर फेमा उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन के लिए बीबीसी पर **3.44** करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा बीबीसी के **3** निदेशकों –जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिब्सन पर **1.14** करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह जुर्माना ईडी द्वारा दो साल पहले दर्ज किये गये मामले के बाद लगाया गया है, जिसमें एजेंसी ने अगस्त **2023** में जारी किये गये कारण बताओ नोटिस में कई फेमा उल्लंघन का हवाला दिया गया था। आयकार विभाग द्वारा फरवरी **2023** में बीबीसी के दिल्ली कार्यलय में एक सर्वेक्षण किये जाने के महीनों बाद जांच शुरू की गयी थी।

कुल जुर्माना **3,44,48,850** रुपये है, जिसमें **15** अक्टूबर **2021** से अनुपालन तक प्रतिदिन **5000**रुपये का अतिरिक्त जुर्माना शामिल है। सरकार ने सीधे तौर पर बीबीसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पहले समूह की विदेशी संस्थाओं द्वारा अघोषित धन प्रेषण से संबंधित कर विसंगतियों का संकेत दिया गया था।

महिमा कटारिया भारत एक्सप्रेस से जुड़ीं

टीवी पत्रकार महिमा कटारिया 'भारत एक्सप्रेस' न्यूज चैनल में विशेष संवावदाता के तौर पर शामिल हुई हैं, जहां वो मुख्य रूप से पीएमओ बीट को कवर करेंगी। समाचार4मीडिया से बातचीत में उन्होंने चैनल में अपनी नयी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी साझा की।

इससे पहले महिमा कटारिया ने इंडिया डेली **247** के लिए कुछ समय तक काम किया था, जहां उन्होंने वरिष्ठ संवावदाता के रूप में पीएमओ बीट को भी कवर किया था। इंडिया डेली **247** में शामिल होने से पहले वह जुलाई **2022** से आईटीवी नेटवर्क से जुड़ी थीं, जहां उन्होंने समूह के समाचार चैनलों, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स के लिए वरिष्ठ संवावदाता के रूप में काम किया।

PRASAR BHARATI SEEKS DIRECTOR GENERALS FOR AKASHVANI & DOORDARSHAN

Prasar Bharati has opened recruitment for Director General positions at Akashvani and Doordarshan through promotion or deputation. Eligible Group "A" officers from All India or Central Services, meeting specified pay scale criteria, can apply. Candidates with expertise in broadcasting, finance, technology, and related fields will be preferred. The roles, under Level-16 of the 7th Pay Commission, offer salaries between Rs. 2,05,400 and Rs. 2,24,400 per month, with a tenure of up to five years. The age limit for applicants is 58 years.

60 CHANNELS SECURE DD FREE DISH SLOTS

The 7th Annual (85th) DD Free Dish e-auction concluded with 60 channels securing MPEG-2 slots, including major players like Sony, Zee, JioStar, and Republic Bharat. However, Prasar Bharati reportedly lost nearly Rs. 150 crore due to controversial disqualifications and weak bidding.

TRAI PROPOSES FRAMEWORK FOR BROADCASTING UNDER TELECOM ACT 2023

TRAI has released recommendations on the framework for service authorisations for broadcasting under the Telecommunications Act, 2023. The move follows a request from the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) to align broadcasting regulations with the new telecom law.

The recommendations simplify licensing for services such as TV channel broadcasting, DTH, HITS, FM radio, and community radio. The framework introduces structured authorisation terms to enhance industry growth and ease of doing business, setting the stage for new broadcasting service rules under the updated legislation.■

प्रसार भारती को आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए महानिदेशक की तलाश है

प्रसार भारती ने तरक्की या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से आकाशवणी और दूरदर्शन में महानिदेशक के पदों के लिए भर्ती शुरू की है। अखिल भारतीय या केंद्रीय सेवाओं के योग्य समूह 'ए' अधिकारी, निर्दिष्ट वेतनमान मानदंडों को पूरा करते हुए आवेदन कर सकते हैं। प्रसारण, वित्त, प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। 7 वें वेतन आयोग के स्तर–16 के तहत, पदों के लिए 2,05,400 रुपये से 2,24,400रुपये प्रतिमाह के बीच वेतन दिया जाता है, जिसका कार्य काल 5 साल होता है। आवेदकों की आयु सीमा 58 वर्ष होनी चाहिए।

60 चैनलों ने डीडी फ्री डिश के लिए स्लॉट सुरक्षित किये

7वीं वार्षिक (85वीं) डीडी फ्री डिश ई–नीलामी 60 चैनलों के एमपीईजी–2 स्लॉट हासिल करने के साथ संपन्न हुई, जिसमें सोनी, जी, जियोस्टार और रिपब्लिक भारत जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि विवादास्पद अयोग्यता और कमजोर बोली के कारण प्रसार भारती को कथित तौर पर लगभग 150 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

ट्राई ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत प्रसारण के लिए रूपरेखा प्रस्तावित की

ट्राई ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत प्रसारण के लिए सेवा प्राधिकरणों की रूपरेखा पर सिफारिशें जारी की हैं। यह कदम सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा प्रसारण नियमों को नये दूरसंचार कानून के साथ संरेखित करने के बाद उठाया गया है।

सिफारिशें टीवी चैनल प्रसारण, डीटीएच, हिट्स, एफएम रेडियो और सामुदायिक रेडियो जैसी सेवाओं के लिए लाइसेंसिंग को सरल बनाती है। यह ढ़ांचा उद्योग के विकास और व्यापार को आसान बनाने के लिए संरचित प्राधिकरण शर्तों को पेश करता है जो अपडेट कानून के तहत नये प्रसारण सेवा नियमों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है।■